पत्रांक–5/न०वि०/ना०सु०–07/2016......58......

OSP

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
पो०–हिनू, रांची।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

रॉंची, दिनांक–20/06/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में देवघर नगर निगम क्षेत्र मे आयोजित श्रावणी मेला, 2018 के दौरान कॉंवरिया पथ, बाबा मंदिर क्षेत्र एवं सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र की नियमित साफ–सफाई एवं ठोस कचरा प्रबंधन हेतु नागरिक सुविधा मद के OSP प्रक्षेत्र से कुल 2,50,00,000/– (दो करोड़ पचास लाख रू०) मात्र अनुदान की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपयुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, देवघर के पत्रांक–312 दिनांक–18.05.2018 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में देवघर नगर निगम क्षेत्र मे आयोजित श्रावणी मेला, 2018 के दौरान कॉंवरिया पथ, बाबा मंदिर क्षेत्र एवं सम्पूर्ण नगर निगम क्षेत्र की नियमित साफ–सफाई एवं ठोस कचरा प्रबंधन हेतु नागरिक सुविधा मद के OSP प्रक्षेत्र से कुल 2,50,00,000/– (दो करोड़ पचास लाख रू०) मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–191–नगर निगमों को सहायता–उपशीर्ष–34–शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधा हेतु सहाय्य अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) विपत्र कोड–48S221780191340679 से विकलनीय होगी।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त, होंगे तथा राशि की निकासी देवघर कोषागार से कर इसका हस्तांतरण उपायुक्त, देवघर को सुनिश्चित करेंगे।

4. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष (2016–17) में देवघर नगर निगम द्वारा इस प्रयोजन हेतु निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है:–

क्र0	निकाय का नाम	स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र की राशि
I	II	III	Iv	V
1	देवघर नगर निगम	53/14.06.2016	10000000	10000000

5. वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉंची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के अनुरूप कोषागार में में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली, कोषागार संहिता का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तको/पंजियों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

Rakesh/E/shail./Nagrick Shubida(2018-19)-3

7. वित्त विभाग के पत्रांक–903 दिनांक–02.03.2002 के विभिन्न बिन्दुओं का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निश्चित रूप से करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना अथवा राशि भुगतान का डुप्लीकेशन किसी भी परिस्थिति में न हो।

8. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं0–2561/दिनांक–17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, रांची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

9. योजनाओं का कार्यान्वयन नियमानुसार खुली प्रतिस्पर्द्धी निविदा के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए अनिवार्य रूप से ससमय सुनिश्चित किया जाएगा एवं भौतिक/वित्तीय उपलब्धियों का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के बजट संबंधी धाराओं के अंतर्गत राशि सम्मिलित करने के उपरांत ही नियमानुसार स्वीकृत राशि का व्यय करेंगे।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/न०वि०/ना०सु०–07/2016.....58...../न0वि0वि0, राँची, **दिनांक**– 20/06/18

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/ सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/आयुक्त, संथाल परगना/उपायुक्त, देवघर/कोषागार पदाधिकारी, देवघर कोषागार/महापौर, देवघर नगर निगम/नगर आयुक्त, देवघर नगर निगम/नोडल पदाधिकारी, e-Procurement Cell/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।